

प्रेषक,

अविनाश कुमार,  
सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, मेदिनीनगर

संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;  
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॉची, दिनांक : 3-2-14

विषय :- मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-64-छोटानागपुर एवं संचालपरगना सिंचाई परियोजना अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड 49P470180789640545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

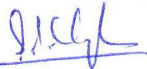
महाशय,

वित्तीय वर्ष 2013-14 में बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजी परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को परिशिष्ट 2 में वर्णित कार्य पर व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

| क्र. | मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष                                | लघु शीर्ष/उप शीर्ष                                                                                                           | विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड                                          | आवंटित राशि (लाख रु. में) |
|------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1    | 2                                                                    | 3                                                                                                                            | 4                                                                 | 5                         |
| 1.   | 49-जल संसाधन विभाग/ 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय/ 80-सामान्य | 789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना/64- छोटेनागपुर एवं संचालपरगना सिंचाई परियोजना अन्तर्गत चालू योजनाओं का निर्माण, | 05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड 49P470180789640545 | -100.329                  |

अतिरिक्त आवंटित राशि - ऋणात्मक ₹ एक करोड़ बत्तीस हजार नौ सौ मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2013-14 के संशोधित बजट उपबंध ₹ 595.00 लाख (पाँच करोड़ पंचानवे लाख) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट 1 पर वर्णित कार्यों के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

  
(सुरेश प्रसाद भगत)  
सहायक अभियंता

  
(मुक्ति साधन चौधरिया)  
उप सचिव (अभि.)

  
(सुबोध कुमार सिन्हा)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षक अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 15 मार्च 2014 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त।

  
(अविनाश कुमार)  
सचिव

ज्ञापांक :-

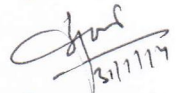
191

रॉची, दिनांक :-

3-2-14

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा/मेदिनीनगर सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।

  
(अविनाश कुमार)  
सचिव

ज्ञापांक :-

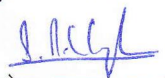
191

रॉची, दिनांक :-

3-2-14

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/सचिव योजना एवं विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पौंच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

  
(सुरेश प्रसाद भगत)  
सहायक अभियंता

  
(मुक्ति साधन चौधरिया)  
उप सचिव (अभि.)

  
(सुबोध कुमार सिन्हा)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

  
(अविनाश कुमार)  
सचिव

विभागीय पत्रांक..... 191

दिनांक 03-2-14

का अनुलग्नक

परिशिष्ट -1

मौग संख्या-49-जल संसाधन विभाग  
मुख्य शीर्ष-4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परियध्य,  
उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,  
लघु शीर्ष -789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना  
उप शीर्ष -64-छोटानागापुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना अंतर्गत चालू योजनाओं का निर्माण  
विरतुत शीर्ष-05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, 49P470180789640545  
वित्तीय वर्ष 2013-14 में बजट उपबंध 595.00 लाख (पाँच करोड़ पंचानवे लाख) मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

| क्र० | प्रमंडल का नाम               | मुख्य अभियंता | योजना का नाम           | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि | प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग | 31 मार्च 2013 तक व्यय | शीर्षान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में आवंटन |               |           | अभ्युक्ति                                   |
|------|------------------------------|---------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------|
|      |                              |               |                        |                            |                              |                       | पूर्व का आवंटन                               | वर्तमान आवंटन | कुल आवंटन |                                             |
| 1    | 2                            | 3             | 4                      | 5                          | 6                            | 7                     | 8                                            | 9             | 10        | 11                                          |
| 1    | जलपथ प्रमंडल, विधुनपुर पाटन  | मेदिनीनगर     | उत्तर कोयल जलाशय योजना | 81472.30                   | 1645/26.09.98                | 78577.055             | 2.910                                        | 18.090        | 21.000    | अनुवर्तित कार्य हेतु आवंटित राशि परिशिष्ट-2 |
| 2    | औरंगा निर्माण प्रमंडल, पाँकी | मेदिनीनगर     | उत्तर कोयल जलाशय योजना | 81472.30                   | 1645/26.09.98                | 78577.055             | 0.000                                        | 2.581         | 2.581     |                                             |
| 3    | औरंगा निर्माण प्रमंडल-पाँकी  | मेदिनीनगर     | अमानत बराज योजना       | 34110.91                   | 44/04.03.03                  | 24411.900             | 162.000                                      | -139.000      | 23.000    |                                             |
| 4    | जलपथ प्रमंडल, मेदिनीनगर      | मेदिनीनगर     | उत्तर कोयल परियोजना    | 81472.30                   | 1645/26.09.98                | 78577.055             | 0.000                                        | 18.000        | 18.000    |                                             |
| योग  |                              |               |                        |                            |                              |                       | 164.910                                      | -100.329      | 64.581    |                                             |

अतिरिक्त आवंटित राशि - ऋणात्मक ₹ एक करोड़ बत्तीस हजार नौ सौ मात्र।

(सुरेश प्रसाद भगत)

सहायक अभियंता

(मुक्ति साधन चौसिधा)

उप सचिव(अभि०)

(सुबोध कुमार सिन्हा)

संयुक्त सचिव (अभि०)

(अविनाश कुमार)

सचिव

पत्रांक :- 191

दिनांक 22-2-14

का अनुलग्नक

परिशिष्ट - 2

विपत्र कोड 49P470180789640545

(राशि लाख ₹ में)

| क्र०                                                               | प्रमंडल का नाम              | योजना का नाम           | कार्य का विवरण                                                                                                               | पूर्व का आवंटन | प्रत्यर्पण | अतिरिक्त आवंटन | शुद्ध आवंटन | कुल आवंटित राशि | अभ्युक्ति |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|-------------|-----------------|-----------|
| 1                                                                  | 2                           | 3                      | 4                                                                                                                            | 5              | 6          | 7              | 8           | 9               | 10        |
| 1                                                                  | जलपथ प्रमंडल, विशुनपुर पाटन | उत्तर कोयल जलाशय योजना | उत्तर कोयल परियोजना उच्च विद्यालय मोहम्मदगंज के शिक्षक एवं शिक्षकक्षेत्र कर्मचारियों का वर्ष 2013-14 का वेतन का भुगतान कार्य | 2.910          | 0.000      | 18.090         | 18.090      | 21.000          |           |
| योग                                                                |                             |                        |                                                                                                                              | 2.910          | 0.000      | 18.090         | 18.090      | 21.000          |           |
| 2                                                                  | औरंगा निर्माण प्रमंडल-पांकी | उत्तर कोयल जलाशय योजना | मंडल अवस्थित उत्तर कोयल उच्च विद्यालय मंडल के शिक्षक एवं शिक्षकक्षेत्र कर्मचारियों का वर्ष 2013-14 का वेतन भुगतान कार्य      | 0.000          | 0.000      | 2.581          | 2.581       | 2.581           |           |
| योग                                                                |                             |                        |                                                                                                                              | 0.000          | 0.000      | 2.581          | 2.581       | 2.581           |           |
| 3                                                                  | औरंगा निर्माण प्रमंडल-पांकी | अमानत बराज योजना       | अमानत मुख्य नहर के आर०डी० 35.5 एवं 38.80 पर सी०डी० निर्माण                                                                   | 20.000         | 0.000      | 0.000          | 0.000       | 20.000          |           |
|                                                                    |                             |                        | अमानत मुख्य नहर के आर०डी० 14.00 से 22.00 तक अवशेष                                                                            | 72.000         | 72.000     | 0.000          | -72.000     | 0.000           |           |
|                                                                    |                             |                        | अमानत मुख्य नहर के आर०डी० 22.00 से 25.00 तक अवशेष मिट्टी कार्य                                                               | 35.030         | 35.030     | 0.000          | -35.030     | 0.000           |           |
|                                                                    |                             |                        | अमानत मुख्य नहर के आर०डी० 25.00 33.00 तक अवशेष मिट्टी कार्य                                                                  | 31.970         | 31.970     | 0.000          | -31.970     | 0.000           |           |
|                                                                    |                             |                        | 5 अद्द निरीक्षण वाहन, 2 अद्द फोटो कॉपीयर फैंक्स मशीन एवं जेनरेटर का वार्षिक सम्पोषण कार्य                                    | 3.000          | 0.000      | 0.000          | 0.000       | 3.000           |           |
| योग                                                                |                             |                        |                                                                                                                              | 162.000        | 139.000    | 0.000          | -139.000    | 23.000          |           |
| 4                                                                  | जलपथ प्रमंडल, मेदिनीनगर     | उत्तर कोयल परियोजना    | जपला (पलामू) में आठ कमरों वाले निरीक्षण भवन का निर्माण कार्य                                                                 | 0.000          | 0.000      | 18.000         | 18.000      | 18.000          |           |
| कुल योग                                                            |                             |                        |                                                                                                                              | 0.000          | 0.000      | 18.000         | 18.000      | 18.000          |           |
| कुल योग                                                            |                             |                        |                                                                                                                              | 164.910        | 139.000    | 38.671         | -100.329    | 64.581          |           |
| अतिरिक्त आवंटित राशि - ऋणात्मक ₹ एक करोड़ बत्तीस हजार नौ सौ मात्र। |                             |                        |                                                                                                                              |                |            |                |             |                 |           |

81844  
(सुरेश प्रसाद भगत)  
सहायक अभियंता

अभियंता  
(मुक्ति साधन वीरसिया)  
उप सचिव(अभि०)

सचिव  
(सुबोध कुमार सिन्हा)  
संयुक्त सचिव (अभि०)

अभियंता  
(अविनाश कुमार)  
सचिव